

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 36/2014

चन्द्र प्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति धाकड निवासी किशनपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां



♣ बनाम ♣

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री हरिओम प्रजापति

दायरा दिनांक: 07.10.2014

निर्णय दिनांक : 10.05.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते की भूमि साबिक खसरा नं0 123 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं0 356 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 360 रकबा 5 बीघा, खसरा नं0 36 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 429 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 437 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 471 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 385 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 422 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं0 427 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा वाके माल किशनपुरा तह0 मांगरोल में स्थित है। उक्त आराजी के साबिक खसरा नं0 123 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा में सेटलमेंट बाद नये खसरा नं0 132 रकबा 2.88 है0 दर्ज किये गये लेकिन सेटलमेंट राजस्व कार्मिको द्वारा नये खसरा नं0 परिवर्तन करते हुए साबिक खसरा नं0 123 का राजस्व रेकार्ड नक्शे से हाल नजरी नक्शा बनाते समय मौके व कब्जे काशत की साबिक नक्शे के अनुसार दर्ज न कर हाल खसरा नं0 132 का नक्शा रेकार्ड में छोटा कर दिया गया जिसे प्रार्थी के खाते में खसरा नं0 132 का रकबा 2.88 है0 है। लेकिन नक्शा नजरी में रकबा के अनुसार नही होने से प्रार्थी अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया। प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नं0 132 के नक्शे की भौगोलिक व वास्तविक रकबे में कमी की है जबकि रकबे में कोई कमी नही है मात्र हाल नजरी नक्शा छोटा होने से नक्शेअनुसार प्रार्थी का रकबा कम होता है जिसको प्रार्थी राजस्व रेकार्ड नक्शे में दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काशत है। तथा खसरा नं0 132 रकबा 2.88 है0 भूमि के राजस्व रेकार्ड नक्शे को दुरुस्त कराने व उक्त भूमि में कमी

0.31 है० की पूर्ति का हकदार है। अतः ग्राम किशनपुरा में स्थित खसरा नं० 132 के राजस्व रेकार्ड नक्शे में दुरुस्त कर रकबा अनुसार नक्शा तरमीम किया जावे। तथा ग्राम किशनपुरा में स्थित खसरा नं० 425 रकबा 0.75 है० में रकबा 0.18 है०, खसरा नं० 429 रकबा 0.74 है० में रकबा 0.6 है० खसरा नं० 364/925 रकबा 0.09 में 0.07 है० कुल 0.31 है० कमी रकबा पूर्ति कर खाते में दुरुस्त कर दर्ज किया जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 07.10.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू०अ०/2018/केम्प किशनपुरा दिनांक 10.05.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम किशनपुरा की साबिक खसरा नं० 123 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं० 356 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं० 360 रकबा 5 बीघा, खसरा नं० 36 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं० 429 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं० 437 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं० 471 रकबा 1 बीघा, खसरा नं० 385 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं० 422 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं० 427 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा भूमि जमाबंदी सम्वत 2024-37 में दर्ज है। जो प्रार्थी चन्द्रप्रकाश मुतबन्ना भंवरलाल के नाम खाते दर्ज है। प्रार्थी के वाद में पुराने खसरा नं० 123 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा का नया खसरा नं० 132 रकबा 2.88 है० दर्ज किये है तथा वाद पत्र में वादी के कथन किया है कि पुराने खसरा नं० 123 का सेटलमेंट बाद बनाये गये नये खसरा नं० 132 के नक्शे में अंतर है एवं वर्तमान राजस्व नक्शे रकबे अनुसार दर्ज तरमीम नही होकर पुराने नक्शे के मुकाबले छोटा दर्ज हो गया है। जिसको रकबा 2.88 है० के अनुसार दर्ज तरमीम करना है तथा पुराने खसरा नं० 356 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा का हाल खसरा नं० 425 रकबा 0.75 है० में रकबा 0.18 है०, खसरा नं० 429 रकबा 0.74 है० में रकबा 0.6 है० खसरा नं० 364/925 रकबा 0.09 में 0.07 है० कुल 0.31 है० जिसको वादी दुरुस्त कराना चाहता है जबकि वादी मौके पर पूरे रकबे पर काबिज काश्त है। मात्र राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना चाहता है। अतः पुराने खसरा नं० 123 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा का पुराना नक्शा व नया खसरा नं० 132 रकबा 2.88 है० का मिलान करने व हाल खसरा नं० 132 का रेकार्ड अनुसार नक्शा का माप रकबा अनुसार दर्ज नही हे। और वर्तमान खसरा नं० 132 पुराने नक्शे व रकबे अनुसार छोटा है जिसको रकबे अनुसार तरमीम नही किया जा सकता एवं कमी 0.31 है० की पूर्ति नही की जा सकती है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम किशनपुरा में स्थित आराजी किता 11 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा में दौराने सेटलमेंट हुयी कमी रकबे की पूर्ति किये जाने हेतु

Handwritten notes in Hindi, including the number 132 and other illegible text.

न किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैंड होल्डर) जो राज्य सरकार का रोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की वादी मौके पर पूरे रकबे पर काबिज काश्त है। मात्र राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना चाहता है। अतः पुराने खसरा नं० 123 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा का पुराना नक्शा व नया खसरा नं० 132 रकबा 2.88 है० का मिलान करने व हाल खसरा नं० 132 का रेकार्ड अनुसार नक्शा का माप रकबा अनुसार दर्ज नहीं हे। और वर्तमान खसरा नं० 132 पुराने नक्शे व रकबे अनुसार छोटा है जिसको रकबे अनुसार तरमीम नहीं किया जा सकता एवं कमी 0.31 है० की पूर्ति नहीं की जा सकती है। और ना ही प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है। अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नहीं है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।

Handwritten text in Hindi, likely a signature or official stamp, located in the bottom right corner of the page. The text is partially obscured and difficult to read due to the angle and quality of the scan.